

21.11.16

वादीगण द्वारा सांय 4:15 बजे तक कोई उपस्थित नहीं।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अधिवक्ता श्री पी0एन0 भट्टेले।
प्रतिवादी क्रमांक 2 एकपक्षीय।
प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है।
वादी साक्ष्य अनुपस्थित।
पूर्व नियत दिनांक 06.10.16 व 27.10.16 को भी वादी साक्ष्य उपस्थित नहीं रही है और आज भी साक्ष्य अनुपस्थित है। अतः आदेश 17 नियम 3(बी) सीपीसी के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के अधीन वाद वादीगण की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।
उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
व्यय तालिका बनाई जावे।
प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /—
1—सी0जे0—2, गोहद